

## मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

ई-5 अरेरा कालोनी "मैट्रो प्लाजा" (पाँचवी मंजिल) विट्ठन मार्केट, भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक 25 जून, 2010

: शुद्धि-पत्र :

क्रमांक :1647 / म.प्र.विनिआ / 2010- क्रमांक 2734- म.प्र.विनिआ-2009 के द्वारा "मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियों तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 (जी-35, वर्ष 2009)" का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 जनवरी, 2010 में भाग 4 (ग) में पृष्ठ क्रमांक 13 से 139 पर किया गया है । त्रुटिवश इस अधिसूचना के पृष्ठ 30 पर कंडिका क्रमांक 20.1 (i) में "दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति योग्य सामाग्रियों के मूल्य मे से कोई उपभोक्ता प्रतिभूति राशि को घटाकर तथा इसमें से पुनः एक माह की विद्युत क्रय लागत को घटा करके" के स्थान पर "एक माह की विद्युत क्रय लागत तथा दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति योग्य सामाग्रियों के मूल्य मे से कोई उपभोक्ता प्रतिभूति राशि को घटा करके" प्रकाशित हो गया था।

अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक 30 कंडिका क्र. 20.1 (i) को निम्नानुसार सुधार कर पढ़ा जायेगा -

"दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति योग्य सामाग्रियों के मूल्य मे से कोई उपभोक्ता प्रतिभूति राशि को घटाकर तथा इसमें से पुनः एक माह की विद्युत क्रय लागत को घटा करके"

आयोग सचिव